**प्रेस को सूचना नोट**

**(प्रेस विज्ञप्ति संख्या 79/2022)**

**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण**

तत्काल प्रकाशन के लिए

**भादूविप्रा ने "दूरसंचार प्रशुल्क (उनहत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2022 (2022 का 05) जारी किया।**

**नई दिल्ली, 6 दिसंबर, 2022:** भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "आपदाओं/गैर-आपदाओं के दौरान कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट से संबंधित मुद्दों" पर "दूरसंचार प्रशुल्क (उनहत्तरवां संशोधन) आदेश 2022" जारी किया है।

1. दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से आपदाओं/गैर-आपदाओं के दौरान सीएपी प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीएसपी द्वारा प्रसारित किए जाने वाले एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट/संदेशों के लिए प्रशुल्क प्रदान करने का अनुरोध किया है। दूरसंचार विभाग केवल एक निश्चित अवधि के लिए और उन घटनाओं के लिए मुफ्त में एसएमएस/सेल प्रसारण की अनुमति देता है जिनके लिए एनईसी/एनसीएमसी/एसईसी/नोडल प्राधिकरणों से मुफ्त संदेशों के लिए विशिष्ट अनुरोध आते है। हालाँकि, ऐसे मौके आते हैं जब सरकार जनता को संभावित आपदा या अवसरों की पूर्वसूचना के लिए सतर्क संदेश भेजना चाहेगी, जहां जनता को विशेष आयोजनों जैसे राहत/टीका/चिकित्सा शिविरों/विशिष्ट कानून और व्यवस्था संबंधी स्थितियों आदि के बारे में सूचित करना होता है।

2. तदनुसार, मौजूदा प्रथा के अनुसार, भादूविप्रा ने दिनांक 03.11.2021 को "आपदाओं/गैर-आपदाओं के दौरान कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट से संबंधित प्रशुल्क मुद्दों" पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया, जिसमें हितधारकों से क्रमशः 01.12.2021 और 15.12.2021 तक टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां मांगी गईं। प्राप्त टिप्पणियों और प्रति टिप्पणियों का विवरण वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है। प्राधिकरण ने परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) आयोजित की ।

3. परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों के साथ हुए विचार-विमर्श के अनुसार सीएपी के माध्यम से निम्नलिखित चार संभावित श्रेणियों के अलर्टस/मैसेजेज़ भेजे जा सकते हैं:
   i. गैर-आपदा स्थिति के दौरान भेजे गए अलर्टस/मैसेजेज़ जो प्रभार्य आधार पर हो सकते हैं।
   ii. आपदा की अधिसूचना से पूर्व डीएम अधिनियम, 2005 के अनुसार भेजे गए अलर्टस/मैसेजेज़ जो प्रभार्य आधार पर हो सकते हैं।
   iii. डीएम अधिनियम, 2005 और मौजूदा एसओपी के अनुसार आपदा की स्थिति के दौरान भेजे गए अलर्टस/मैसेजेज़ जो निःशुल्क होंगे; तथा
   iv. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार भेजे गए संदेशों के अलावा आपदा की स्थिति के दौरान भेजे गए अलर्टस/मैसेजेज़, जो शुल्क आधारित हो सकते हैं।

4. सभी हितधारकों/प्रतिभागियों के व्यक्त विचारों और उनके विश्लेषण पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने दूरसंचार प्रशुल्क आदेश, 1999 के खंड 3 में प्रमुख टैरिफ ऑर्डर की अनुसूची XIII को शामिल किया, जो कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रसारित लघु संदेश सेवाओं (एसएमएस) और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट के लिए निम्नलिखित टैरिफ निर्धारित किया है।

   i. प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार भेजे गए संदेशों के अलावा आपदा और गैर-आपदा स्थितियों के दौरान भेजे गए एसएमएस अलर्ट/संदेशों के लिए रु. 0.02 (केवल दो पैसे) का शुल्क निर्धारित करने का निर्णय लिया।
   ii. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के तहत जारी निर्देश के अनुसार भेजे गए अलर्ट/संदेशों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि आपदा के दौरान या आपदा की अधिसूचना से पहले या आपदा की समाप्ति के बाद भेजे गए ऐसे अलर्ट/संदेशों के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
   iii. टीएसपी आपदा और गैर-आपदा अवधि के दौरान मुफ्त में सेल प्रसारण के माध्यम से सभी ग्राहकों को संदेश प्रसारित करेंगे।

5. संशोधन आदेश के साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार प्रशुल्क (उनहत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2022 के कारणों और औचित्य का विवरण है।

6. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री कौशल किशोर, प्रधान सलाहकार (वित्त और आर्थिक विश्लेषण) प्रभारी से दूरभाष सं.: +91-11-232307521/ (फैक्स) 23236650 पर संपर्क किया जा सकता है।

वी. रघुनंदन

(वी. रघुनंदन)
सचिव (भादूविप्रा)